न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. नंबर :— **Cri.Reg.Case/378/2025**
सी एन आर नंबर :— **RJBD080011092025**

निर्णय दिनांकः—09.07.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 251/2025 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**जिशान खान** पुत्र जहागीर खान, निवासी वार्ड नंबर 01 प्रताप कॉलोनी कस्बा के.पाटन, पुलिस थाना के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विजयराज मीणा, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	25.07.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	25.07.2025
आरोप पत्र की तिथि	25.09.2025
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	25.09.2025
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	27.03.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	09.07.2026
निर्णय की तिथि	09.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	09.07.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	जीशान	—	—	धारा	दण्डादेश	धारा	—

	खान			126(2), 115(2), 117(2) भा.न्या. सं.		126(2) भा.न्या.सं. में 01 माह का साधारण कारावास, 1000 / — रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास, तथा धारा 115(2) भा.न्या.सं. में 06 माह का साधारण कारावास, 1000 / — रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास, तथा धारा 117(2) भा.न्या.सं. में 06 माह का साधारण कारावास, 1000 / — रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी 10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास	

अभियोजन साक्ष्य की सूची :–

(क) अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	डॉ. महावीर दीक्षित	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.—2	अकीलु रहमान	शिकायतकर्ता
अ.सा.—3	समीर	आहत एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—4	रईसु रहमान	आहत साक्षी
अ.सा.—5	मुख्तार अली	ताईदी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—6	—	
अ.सा.—7	दिलशाद हुसैन	ताईदी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—8	दीनदयाल	रेडियोग्राफर
अ.सा.—9	हरिशंकर	अनुसंधानकर्ता

नोटः— गवाह पी.डब्ल्यू—6 के रूप में कोई गवाह परीक्षित नहीं कराया गया है।

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —	—	

(ग) न्यायालय साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—	—	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :–

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	चोट प्रतिवेदन अकीलु रहमान
2.	प्र.पी.—2	चोट प्रतिवेदन रईसु रहमान
3.	प्र.पी.—3	एक्सरे कवर नोट रईसु रहमान
4.	प्र.पी.—4	चोट प्रतिवेदन समीर
5.	प्र.पी.—5	तहरीरी रिपोर्ट
6.	प्र.पी.—6	चाक एफआईआर
7.	प्र.पी.—7	नक्शा मौका घटनास्थल
8.	प्र.पी.—8	एक्सरे कवर नोट अकीलु रहमान
9.	प्र.पी.—9	एक्सरे कवर नोट समीर
10.	प्र.पी.—10	थानाधिकारी पुलिस थाना के. पाटन द्वारा एमएलओ के.पाटन

		को मजरूबान की चोटों का मेडिकल मुआयना करने बाबत् लिखा गया प्रार्थना पत्र
11.	प्र.पी.–11	परिवादी द्वारा सोनू व अन्य के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् थानाधिकारी पुलिस थाना के.पाटन को लिखा गया पत्र

(ख) प्रतिरक्षा :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.डी–1	पुलिस बयान गवाह रईसु रहमान

(ग) न्यायालय प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	–	–

(घ) आवश्यक वस्तुयें :–

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	–	–

–:: निर्णय ::–

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.07.2025 को परिवादी अकीलु रहमान द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 25.07.2025 को दोपहर 2:30 बजे की बात है। परिवादी अपने घर के बाहर अपनें दोनो बच्चों रईसु रहमान, मोइनू रहमान के साथ खड़ा था एवं पास ही डिक्स के पैसे लेना आया दिलशाद भी खड़ा हुआ था। वही परिवादी से मिलने परिवादी के साले का बच्चा समीर मोहम्मद मिलने आया था। तभी जिशान एवं उसके साथ सोनू एवं दो अन्य व्यक्ति जिनको वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, परन्तु सामने आने पर में उनको पहचान सकता हूं, हाथों में लोहे के पाईप व गण्डासे लेकर एक राय होकर आये और जिशान ने लोहे के पाईप से समीर के सिर पर जान से मारने की नियत से जोर से हमला किया, जिससे समीर के सिर से खून की धार निकल गई। समीर खून खच्चर हो गया। जिशान इतने पर ही नहीं माना और अपने साथियों के साथ मिलकर समीर के शरीर पर लोहे के पाईप व गंडासे से मारपीट की, जिससे समीर के शरीर पर कई जगह गम्भीर चोटें आई। जब परिवादी व उसके बच्चे समीर को बचाने आये तो जिशान, सोनू एवं अन्य दो व्यक्तियों द्वारा परिवादी व उसके दोनो बच्चों के साथ लोहे के पाईप से मारपीट की। अभियुक्तगण समीर को मरा हुआ समझकर वहां से भाग गये और जाते–जाते धमकी देकर गये है कि यदि तुमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई

तो करा देना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता। हमारे खिलाफ वैसे ही थाने में बहुत सी रिपोर्ट दर्ज है। हम आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, हमारे खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दे सकता है। फिर परिवादी व दिलशाद दोनों मिलकर समीर को के.पाटन अस्पताल लेकर आये, परन्तु गम्भीर घायल होने के कारण डॉक्टर महावीर दिक्षित द्वारा समीर को कोटा रैफर कर दिया। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे, इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—251/2025 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 (आगे भा.न्या.सं. 2023 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भा.न्या.सं. 2023 का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भा.न्या.सं. 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भा.न्या.सं., 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप पृथक् से विरचित कर अभियुक्त को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर प्रकरण साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 08 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 11 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 351 बीएनएसएस, 2023 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है तथा यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पक्ष ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया, परन्तु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को परिवादी पक्ष द्वारा रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। स्वयं परिवादी द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट में तीन लड़कों द्वारा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करना दर्शाया है, जबकि आरोप पत्र मात्र एक अभियुक्त जिशान के विरूद्ध ही पेश किया गया है और गवाहान ने भी अपने बयानों में तहरीरी रिपोर्ट से परे जाकर अत्यंत विरोधाभासी कथन किए हैं और परिवादी पक्ष द्वारा अन्य अभियुक्तगण से समझौता कर अभियुक्त के विरूद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कराया है, जिसे गवाहान ने अपनी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.07.2025 को समय दोपहर 2:30 बजे या उसके लगभग स्थान प्रताप कॉलोनी, बून्दी रोड चौराहा, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में परिवादी अकीलु रहमान तथा उसके दोनों बच्चों व उसके साले के बच्चे समीर को उनकी इच्छित दिशा विशेष में जाने से निवारित कर उनका सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी व उसके परिवारजन के साथ कुंद हथियार व लोहे के पाईप व गंडासे से मारपीट कर उन्हें साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित की?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 08 गवाहान् न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं।

9. सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू–2 अकीलु रहमान, जो कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी होकर आहत है अपनी मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा पेश प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किए है कि बयानों से एक साल पहले दोपहर के ढाई बजे की बात है। वह अपने बच्चों रईस, मोइनु के साथ घर के बाहर खडा था। पास में ही अभियुक्त जिशान खडा था। उससे मिलने के लिए समीर उसके पास आया, तभी अभियुक्त जिशान एक व्यक्ति को लेकर आया और जिशान ने आते ही समीर के लोहे के पाईप की सिर पर मारी

जिससे उसके खून निकल आया। अभियुक्त जिशान ने लोहे के पाईप से समीर के साथ मारपीट की। उसने व उसके दोनों बच्चों ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त जिशान ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट कर अभियुक्त जिशान वहां से भाग गया। फिर वह दिलशाद, समीर को थाने पर लेकर गये। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया था।

10. जिरह में गवाह करता है कि उनके बीच में पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लड़ाई झगड़ा किन–किन के बीच हुआ था। जिशान ने उसके भतीजे के दी थी। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि प्रदर्श पी–5 तहरीरी रिपोर्ट में अन्य अभियुक्तगण के नाम लिखवाये जो गलत है। उसके हाथ पर चोट आई थी। उसके दांये हाथ पर चोट आई थी, परन्तु तहरीरी रिपोर्ट में दांये हाथ पर चोट आने वाली बात नहीं लिखी हुई है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसकी तहरीरी रिपोर्ट में सभी के साथ मारपीट होना बताया है। उसके साथ मारपीट करना नहीं बताया। उसके पुलिस में बयान हुए थे। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जिस समय घटना हुई उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था।

11. गवाह पी.डब्ल्यू–3 समीर, जो कि प्रकरण का आहत होकर नक्शे मौके का गवाह है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि बयानों से एक साल पहले दोपहर के ढाई बजे की बात है कि वह अकिलु रहमान से मिलने उनके घर पर गया था। वह, उसका मामा अकिलु रहमान अपने बच्चों रईस, मोइनु के साथ घर के बाहर खडे थे। पास में ही दिलशाद खडा हुआ था, तभी अभियुक्त जिशान एक व्यक्ति को लेकर आया। अभियुक्त जिशान ने आते ही समीर के लोहे के पाईप की सिर पर मारी, जिससे उसके खून निकल आया। अभियुक्त जिशान ने लोहे के पाईप से अकिलु रहमान व उनके दोनों बच्चों के साथ मारपीट की, क्योंकि उसके मामा व उसके दोनों बच्चो ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त जिशान ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट कर अभियुक्त जिशान वहां से भाग गया। फिर वह दिलशाद, अकिलु रहमान के साथ थाने पर गया। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया था।

12. जिरह में गवाह कथन करता है कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। नक्शे मौके में ए स्थान पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो मस्जिद के पास हुआ था। उसका सिर फट गया था। उसके सिर में सात टांके आये थे। उसने एमबीएस अस्पताल कोटा में इलाज करवाया था। इलाज के दस्तावेज उसने

पुलिस को नहीं दिए। वह जिशान को पहले से नहीं जानता है, लेकिन नाम व शक्ल से जानता हूं।

13. गवाह पी.डब्ल्यू—4 रईसु रहमान, जो कि प्रकरण का आहत होकर आहत है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि बयानों से एक साल पहले दोपहर के ढाई बजे की बात है। वह अपने पिता अकिलु रहमान व उसकी बुआ के लडके समीर के साथ घर के बाहर खडा था। पास में ही दिलशाद खडा हुआ था, तभी अभियुक्त जिशान एक व्यक्ति को लेकर आया और अभियुक्त जिशान ने आते ही समीर के लोहे के पाईप की सिर पर मारी जिससे उसके खून निकल आया व समीर नीचे गिर गया। अभियुक्त जिशान ने लोहे के पाईप से समीर के साथ मारपीट की। उसने व उसके पिता ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त जिशान ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट कर अभियुक्त जिशान वहां से भाग गया। अभियुक्त जिशान के साथ सोनू भी था, लेकिन उसने मारपीट नहीं की। फिर उसके पिता व दिलशाद, समीर को थाने पर लेकर गये। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया था।

14. जिरह में गवाह कथन करता है कि वह बारहवीं तक पढ़ा लिखा है। दिनांक 25.07.2025 को लड़ाई झगड़ा हुआ था। वह नमाज पढ़कर घर आ रहा था। उसका व जिशान का मकान पास—पास है। जिशान के साथ एक व्यक्ति आया था। दो—तीन व्यक्ति आये थे। वह नक्शे मौके में नहीं समझता है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि प्रदर्श डी—1 के सी से डी भाग जो पुलिस बयान हुए है वह सही है। उसके दांहिने हाथ पर चोट आई थी। उसका बीच बचाव किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। पुलिस बयानों में दांहिने हाथ पर चोट आने की बात नहीं लिखवाई। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी—1 का ई से एफ भाग में जो लिखा है वह सही है, क्योंकि जिशान उनसे दुश्मनी रखता है और उन्होंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

15. गवाह पी.डब्ल्यू—5 मुख्तार अली, जो कि ताईदी साक्षी एवं नक्शे मौके का गवाह है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनया था, जो बयानों से लगभग एक साल पहले अकिलु रहमान, समीर, रईसु रहमान के साथ मारपीट के संबंध में बनाया था जो प्रदर्श पी—7 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

16. जिरह में गवाह कथन करता है कि नक्शा मौका बाद में बनाया था। नक्शा मौका की तारीख उसे याद नहीं है। नक्शा मौका घटना के दो दिन बाद बनाया था, जो उसकी निशानदेही से बनाया था। गवाह नक्शा मौका देखकर

बताया कि घटना ए स्थान पर घटित हुई थी। नक्शे मौके में यह कही पर नहीं बताया कि अकीलु रहमान के मकान के सामने घटना हुई थी।

17. गवाह पी.डब्ल्यू—7 दिलशाद हुसैन, जो कि ताईदी साक्षी एवं नक्शे मौके का गवाह है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि जुलाई 2025 को दोपहर तीन बजे की बात हैं। वह प्रताप कॉलोनी में डिस्क के पैसे लेने गया था। अकीलु रहमान अपने घर के बाहर खडा हुआ था। पास में ही अकीलु रहमान के साले का लडका समीर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। रईसु रहमान भी पास ही खडा हुआ था, तभी अभियुक्त जिशान हाथ में लोहे का पाईप लेकर आया और मोटरसाइकिल पर बैठे हुये समीर के पीछे से सिर में लोहे के पाईप से मारी, जिससे समीर नीचे गिर गया और उसके खून आ गया। अकीलु रहमान, रईसु रहमान ने बीच बचाव किया, तो जिशान ने इनके साथ भी लोहे के पाईप से मारपीट की। जिससे अकीलु रहमान व रईसु रहमान के हाथों में चोटें आई। मारपीट कर अभियुक्त जिशान वहा से भाग गया। अभियुक्त जिशान के साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे, लेकिन उस समय वह दूर खड़े हुये थे। वह व अकीलु रहमान, समीर को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अस्पताल के.पाटन लाये थे, जहां से उसे कोटा एमबीएस अस्पताल रैफर कर दिया था। जहां पर अभियुक्त जिशान ने ईलाज करवाया था। अकीलु रहमान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दूसरे दिन घटनास्थल का नक्शा मौका पुलिस ने उसके सामने बनाया था, जो प्रदर्श पी—7 हैं जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है ।

18. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि वह, समीर और अकीलु रहमान का रिश्तेदार है, इसलिए बयान देने आया है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि दोनों पक्षों के मध्य वर्तमान में लड़ाई झगड़ा है या नहीं। उसके सामने पुलिस ने लिखा पढ़ी की थी। नक्शा मौका भी उसके सामने बनाया था। लड़ाई के दिन बयान लिए थे और दूसरे दिन भी लिए थे। जहां समीर गिरा था वहां पर पत्थर नहीं थे। मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, जिस पर समीर बैठा हुआ था। समीर के लगते ही वह गिर गया। वह डिस्क के पैसे लेने गया था। उसने कोई बीच—बचाव नहीं किया।

19. गवाह पी.डब्ल्यू—1 डॉ. महावीर दीक्षित, जो कि आहतगण की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 25.07.2025 को सीएचसी के.पाटन में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना के.पाटन के प्रतिवेदन पर मजरूब अकीलु रहमान के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या—1 सूजन 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी बांये हाथ के मीडिल भाग पर। जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 है, जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान

चिन्ह् अंकित है। उसी दिन उसने रईसु रहमान के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या—1 सूजन 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी बांये हाथ के पृष्ठ भाग पर थी। जिसके लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। बाद एक्सरे प्लेट नंबर 111 को देखने पर चोट गंभीर प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी उसकी राय व ई से एफ मजरूब का पहचान चिन्ह् अंकित है। एक्सरे प्लेट कवर नोट प्रदर्श पी—3ए है। उसी दिन उसने मजरूब समीर के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या—1 कुचला हुआ घाव 3 गुणा 2 गुणा 1/2 सेमी जो सिर के कनपटी के भाग पर कारित थी। चोट संख्या—2 सूजन 2 गुणा 2 सेमी बांये पैर के टखने के ऊपर। जिसके लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। बाद एक्सरे प्लेट नंबर 113, 114, 115 सीएचसी के.पाटन से प्राप्त होने पर चोट संख्या 1 व 2 साधारण प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—4 उसका कलमी है।

20. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—2 लगायत पी—4 में अंकित चोटें गिरने पड़ने से आना संभव है।

21. गवाह पी.डब्ल्यू—8 दीनदयाल, जो कि रेडियोग्राफर है, अपनी मुख्य परीक्षा कथन करता है कि वह दिनांक 26.07.2025 को सीएचसी के.पाटन में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने चिकित्साधिकारी डॉ. महावीर दीक्षित के एक्सरे प्रतिवेदन के आधार पर मजरूब अकीलु रहमान का बांयी अग्रभुजा का एक्सरे किया था। जिसके एक्सरे प्लेट नम्बर 112 हैं। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी—8 हैं जिस पर ऐ से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित हैं। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी—8ए हं जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसी प्रतिवेदन पर रईसु रहमान की अग्रभुजा का एक्सरे किया था। जिसके एक्सरे प्लेट नम्बर 111 है। एक्सरे कवरनोट प्रदर्श पी—3 है, जिस पर ऐ से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी—3ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन डॉ. महावीर दीक्षित के प्रतिवेदन के आधार पर समीर मोहम्मद के सिर का व बांये घुटने का एक्सरे किया था। जिसके एक्सरे प्लेट नम्बर 113, 114, 115 है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी—9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी—9ए लगायत प्रदर्श पी—9सी है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

22. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी—3ए, पी—8ए व पी—9 ए लगायत पी—9सी में अंकित चोटें गंभीर थी।

23. गवाह पी.डब्ल्यू—9 हरिशंकर, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 25.07.2025 को थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन परिवादी अकीलु रहमान द्वारा आईसी थाना कौशलेन्द्र सिंह के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की जिस पर कौशलेन्द्र हैड कानि. ने प्रकरण संख्या 251/2025 धारा 115(2) 126(2), 3(5) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 है, जिस पर सी डी कायमी मुकदमा, ई से एफ कौशलेन्द्र हैड कानि. के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—6 है, जिस पर सी से डी कौशलेन्द्र हैड कानि. के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान समीर मोहम्मद, रईसु रहमान, अकीलु रहमान की चोटों का मेडीकल मुआयना एमएलओ सीएचसी के.पाटन में तहरीर देकर करवाया गया था। एमएलओ को दी गई तहरीर प्रदर्श पी—10 है। दौराने अनुसंधान दिनांक 26.07.2025 को घटनास्थल का नक्शा मौका परिवादी अकीलु रहमान की निशानदेही से बनाया जो प्रदर्श पी—7 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बयान परिवादी अकीलु रहमान, गवाह समीर मोहम्मद, रईसु रहमान, दिलशाद हुसैन के उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। फरियादी अकीलु रहमान ने एक तहरीरी रिपोर्ट सोनू व अन्य दो लड़कों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने बाबत् पेश की जो शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी—11 है, जिस पर ऐ से बी उसका पृष्ठाकंन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अकीलु रहमान के तितम्बा बयान लेखबद्ध किये गये। मजरूब अकीलु रहमान, रईसु रहमान व समीर मोहम्मद की चोटों का मेडीकल मुआयना रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मजरूब रईसु रहमान की चोट संख्या 1 को एमएलओ द्वारा गम्भीर प्रकृति की बताये जाने पर धारा 117(2) बीएनएस जोड़ी गई। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त जिशान के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 117(2) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की, जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

24. जिरह में गवाह कथन करता है कि समस्त गवाहान के बयान थाने पर ही लिए थे। मेडिकल उसी दिन करवाया था। अकीलु रहमान द्वारा प्रार्थना पत्र उपरोक्त मुकदमे में कथित आरोपी सोनू व अन्य के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पुलिस मुख्यालय जयपुर के पत्र क्रमांक 5/98 की पालना में उसके द्वारा परिवादी अकीलु रहमान के तितम्बा बयान लेखबद्ध किए गए थे। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि घटनास्थल के आस—पास मस्जिद है, जहां काफी लोगों का आना जाना रहता है।

25. प्रकरण में परिवादी अकीलु रहमान की ओर से पेश तहरीरी रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट में परिवादी द्वारा मौके पर

जिशान व सोनू तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा आकर परिवादी के साले के बच्चे समीर पर लोहे के पाईप से वार करना और बचाने आये रईसु रहमान, मोइनु रहमान व परिवादी के साथ भी मारपीट करना अंकित किया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में एकमात्र अभियुक्त जिशान के विरूद्ध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भा.न्या.सं., 2023 के तहत आरोप पत्र पेश किया गया है, अन्य किसी व्यक्ति अर्थात् सोनू व अन्य की संलिप्तता अनुसंधान से प्रकरण मूं नहीं पाई गई है और इस संदर्भ में परिवादी अकीलु रहमान बतौर पी.डब्ल्यू–2 अपनी मुख्य परीक्षा के बयानों में अपनी तहरीरी रिपोर्ट की ताईद करते हुए मात्र अभियुक्त जिशान द्वारा एक व्यक्ति के साथ आकर समीर के सिर पर लोहे के पाईप से हमला करना और बीच बचाव में परिवादी व उसके दोनों बच्चों के साथ भी मारपीट करना कहता है। गवाह की जिरह में मौके पर अभियुक्त जिशान द्वारा समीर, परिवादी व उसके दोनों बच्चों के साथ मारपीट के तथ्यों बाबत् कोई विरोधाभास नहीं रहा है और उक्त गवाह अपनी जिरह में यह कहता है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 में जिशान के अलावा जो अन्य मुलजिमान के नाम लिखवाये गए वह गलत है और उक्तानुसार उक्त गवाह के बयानों से घटना के दिन मात्र अभियुक्त जिशान द्वारा हमला कर आहतगण के चोटें पहुंचाना प्रकट आता है। जिस बाबत् लैशमात्र भी विरोधाभास गवाह के बयानों में नहीं है।

26. इसी प्रकृति के कथन गवाहान, जो कि इस प्रकरण के आहतगण भी है, गवाह पी.डब्ल्यू–3 समीर व पी.डब्ल्यू–4 रईसु रहमान ने भी अपने बयानों में कहा है और उक्त दोनों गवाहान भी घटना की दिनांक को अभियुक्त जिशान द्वारा मौके पर आकर सर्वप्रथम लोहे के पाईप से समीर के सिर पर हमला करना और बीच बचाव में आये अकीलु रहमान व रईसु रहमान पर भी हमला कर उन्हें चोटें पहुंचाना कहते हैं। हालांकि गवाह पी.डब्ल्यू–3 समीर ने अपने बयानों में मौके पर जिशान के साथ सोनू नामक व्यक्ति का भी मौजूद होना कहा है, परन्तु सोनू नामक व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की मारपीट के तथ्यों से इंकार करता है। अभियुक्त जिशान द्वारा मौके पर मारपीट के संदर्भ में उक्त गवाह की जिरह में भी कोई विरोधाभास नहीं आया है और उक्त गवाह के बयानों की पुष्टि आहत पी.डब्ल्यू–4 रईसु रहमान ने भी अपने बयानों से की है।

27. परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में मौके पर दिलशाद हुसैन का मौजूद होना दर्शाया है। जिसके क्रम में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू–7 ने भी इस तथ्य की अपने बयानों से पुष्टि की है कि घटना की दिनांक को अभियुक्त जिशान द्वारा समीर के सिर पर मारकर उसे चोटें कारित की और बीच बचाव में आये अकीलु रहमान, रईसु रहमान के साथ भी मारपीट कर उन्हें चोटें कारित की। ऐसी स्थिति में घटना के समय मौजूद व्यक्तियों तथा आहतगण के बयानों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्त जिशान द्वारा परिवादी पक्ष

पर हमला कर आहतगण के चोटें पहुंचाई गई। गवाहान को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है जिससे परिवादी पक्ष की अभियुक्त से पूर्व रंजिश साबित हो।

28. आहतगण की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक पी. डब्ल्यू–1 डॉ. महावीर दीक्षित द्वारा स्पष्ट रूप से आहतगण अकीलु रहमान, रईसु रहमान तथा समीर मोहम्मद के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, पी–2 व पी–3 मुर्तिब किया जाना दर्शित किया है। हालांकि उक्त गवाह की जिरह में गवाह ने आहतगण की चोटों को गिरने पड़ने से आना संभव होना प्रकट किया है, परन्तु चूंकि स्वयं आहतगण व मौके के गवाहान के बयानों से अभियुक्त जिशान द्वारा की गई मारपीट के कारण ही आहतगण अकीलु रहमान, रईसु रहमान व समीर मोहम्मद के शरीर पर चोटें आना साबित किया है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक की साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित दस्तावेजात चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 लगायत पी–3, एक्सरे कवर नोट व एक्सरे प्लेट से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आहतगण के उक्त दिनांक को जो चोटें थी वे अभियुक्त जिशान द्वारा की गई मारपीट के परिणामस्वरूप ही आई थी।

29. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–9 हरिशंकर द्वारा अपने अनुसंधान की ताईद अपने बयानों से की है और अपनी जिरह में अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि परिवादी अकीलु रहमान ने कथित आरोपी सोनू तथा अन्य के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो कि प्रदर्श पी–11 है और ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा तहरीरी रिपोर्ट में दर्शित अन्य व्यक्ति सोनू तथा दो अन्य के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने का उचित कारण प्रकट किया है और गवाहान ने भी अभियुक्त जिशान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारपीट के तथ्यों की पुष्टि नहीं की है और उक्त के क्रम में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिए गए है वह स्वीकार्य नहीं है और गवाहान ने अपनी अटल साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष अभियुक्त जिशान द्वारा ही घटना की दिनांक को आहतगण अकीलु रहमान, रईसु रहमान व समीर मोहम्मद के साथ मारपीट कर उन्हें उपहतियां कारित करना साबित किया है।

30. नक्शे मौके के गवाहान पी.डब्ल्यू–5 मुख्तार अली तथा पी.डब्ल्यू–7 दिलशाद हुसैन के बयानों में नक्शे मौके की फर्द के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं आया है और ऐसी स्थिति में नक्शे मौके की फर्द बाबत् भी कोई सदेह न्यायालय के समक्ष नहीं है। उक्त फर्द को भी गवाहान अपनी साक्ष्य से साबित करते हैं। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

31. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश किये गये संपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 25.07.2025 को समय दोपहर 2:30 बजे या उसके लगभग स्थान प्रताप कॉलोनी, बून्दी रोड चौराहा, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में परिवादी अकीलु रहमान तथा उसके दोनों बच्चों व उसके साले के बच्चे समीर को उनकी इच्छित दिशा विशेष में जाने से निवारित कर उनका सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी व उसके परिवारजन के साथ कुंद हथियार व लोहे के पाईप व गंडासे से मारपीट कर उन्हें साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित की। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भा.न्या.सं., 2023 में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

32. परिणामस्वरूप **अभियुक्त जिशान खान** पुत्र जहागीर खान, निवासी वार्ड नंबर 01 प्रताप कॉलोनी कस्बा के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भा.न्या.सं., 2023 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित पेशी बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया</u>

33. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

34. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित पाये गए अपराध में अभियुक्त पर आहत रईसु रहमान के शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाने का आरोप साबित हुआ है तथा अन्य आहत समीर के मार्मिक भाग सिर की कनपटी पर चोट को भी अभियोजन पक्ष ने साबित किया है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का भी एक इसी प्रकृति का अपराध लंबित होना पत्रावली से प्रकट है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित पाया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है जिसके मद्देनजर अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में

नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि ऐसे गंभीर प्रकरणों में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो ऐसे गंभीर प्रकरणों के बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। एतद्द्वारा अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा किये गये निवेदन को अस्वीकार किया जाता है और अभियुक्त को तत्काल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार दण्डादेश पारित किया जाता है।

दण्डादेश

35. परिणामस्वरूप **अभियुक्त जिशान खान** पुत्र जहागीर खान, निवासी वार्ड नंबर 01 प्रताप कॉलोनी कस्बा के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भा.न्या.सं., 2023 में दोषसिद्ध पाए गए अपराधों के लिए निम्न तालिकानुसार दण्डित किया जाता हैः—

अभियुक्त का नाम	दोषसिद्धि अपराध अन्तर्गत धारा	कारावास	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम कारावासीय दण्ड
जिशान खान	126(2) भा.न्या.सं.	01 माह का साधारण कारावास	1,000 ⁄ —रूपये	10 दिवस का साधारण कारावास
	115(2) भा.न्या.सं.	06 माह का साधारण कारावास	1,000 ⁄ —रूपये	10 दिवस का साधारण कारावास
	117(2) भा.न्या.सं.	06 माह का साधारण कारावास	1,000 ⁄ —रूपये	10 दिवस का साधारण कारावास

36. उक्त सजायें साथ—साथ चलेगी।

37. अभियुक्तगण को प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 481ए बीएनएसएस, 2023 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000 ⁄ — रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

38. अभियुक्त द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

39. अभियुक्त जमानत पर आजाद है, जिसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर नियमानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

40. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **09 जुलाई, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी